रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2699] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939
No. 2699] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

का.आ. 3082(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1273 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य में में अवस्थित है और 45.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य की स्थापना अत्यधिक संकटापन्न गैंजेटिक घड़ियाल का संरक्षण करने के लिए की गई थी और अभयारण्य में सीसम और प्रकीर्ण वन किस्म के साथ ऐसी वनस्पति और प्राणी है, जो केंद्रीय भारतीय उच्च भूमियों में पाए जाते हैं;

और, प्रजाति साग, बीजा, ढोरा, खैर, साजा, लैंडिया वृक्षों की 72, वृक्ष और जड़ी-बूटियां - 30 प्रजातियां, पर्वतारोही और क्रिपर्स की 16 प्रजातियां और घास और जलीय पौधों की 10 प्रजातियां वन्यजीव अभयारण्य में पाए गए है;

और, उनके वैज्ञानिक नामों के साथ प्रमुख वृक्ष प्रजातियां अर्जुन (*टर्मिनालिया अर्जुना*), अचार (*बुएहनानिया लंजन*), आंवला (*बम्बलिका ऑफिसिनाले*), अमलतास (*कैसिया फ़िस्टुला*), बेल (*ईगल मर्मेलोस*), बेर (*ज़िज़ीफस जुजुबा*), बरगद (*फिकस बेंगलेंसिस*), बहेरा (*टर्मिनलिया बेलारिका*), बबूल (*अकाकोआ निलोटीका*), बांस (*बम्बुसा वल्गारिस*), भिल्मा (*सेमेकोरपस कार्डियस*), बिजा (*पेटरोकार्पस मार्सुपीओम*), धौरा (*एनोजीसस लैटिफ़ोलिया*), कुल्लू (*स्टेरकुलीया यूरेंस*), सफ़ेद सिरीस (*अल्बिज़िया प्रोसेरा*), सिरीस (*अल्बिज़िया लीबेक*), सागौन (*टीक*) (*टेक्टोना ग्रैंडिस*), सलाई (*बॉसवेलीया सेरेटा*), सेमल (*बम्बॉक्स सेइबा*), साजा (*टर्मिनलिया टोमेंटोसा*) हैं;

और, प्रमुख झाड़ियाँ और जड़ी बूटी अदुसा (*अधाटोधा एस्पेरा*), अकोल (*एलांजिअम सेल्विफोलीयम*), आक (*कालोट्रोपिस प्रोसेरा*), बेनतुलसी (*एरान्थेमम पुल्चेलम*), भेंडी (*थीसपीयालम्पस*), चिरचिरा (*अचिरिन्टीस एस्पेरा*), चारोटा (*कैसिया तोरा*), हरसिंगार (*यह निक्टन ऑरट्रिटिस है*), करोंदा (*कैरिसा ओपाका*), रतनजोत (*जेट्रोफा कर्क्यूस*) हैं;

और, प्रमुख पर्वतारोही और क्रिपर्स अमरबेल (*कूसकाटा रिफ्लेक्सा*), बांदा (*लोरथस लांगफॉटोरस*), चिलाती (*अकासिया कैसिया*), दुधिबेल (*मार्सडनिया टेन कैकिसडमा*), गुरार गे (*मिल्लेटिया औरिकुलाटा*), क्योती (*वल्लारिस हेयनेई*), पलास बेल (*ब्यूटा सुपर्बा*), केवान्च (*मुकुना प्रुरीएंस*) , नागबेल (*क्रिप्टोप्लीपिस बुचानुनी*), रनदातुन (*स्माइल मैक्रोफिला*) हैं;

और, अभयारण्य क्षेत्र में पाये जाने वाले स्तनधारी ब्लू बुल (*नीलगाई*) (*बोसेलापु स्ट्रैगोकैमेलस*), चीतल (*स्पॉटेड डियर*) (*एक्सिस एक्सिस*), चिंकारा (*गैजेला गैजेला*), चौसिंगा (*ट्राटरसोरस क्वाड्रिकोरनिस*), खरगोश (*कैपरोलॉगस हिसपिडस*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), बंदर (*मका मुलाटा*) , लंगूर (*प्रेस्बिटीस इन्टेलस*), जंगली कुत्ता (*क्यूनो अल्पाइनस*), मुंजक (हिरण) (*मुनटियाकस मुंटजेक*), लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), पांच धारीदार गिलहरी (*फ़र्ननबुलस पैनेंन्ट*), बनबिलार (*फेलिस चॉउस*), नेवला (*गमिस टियरपेस्टर्स*) , चुहें (*बैंडिकोटा बेंगलेंसिस*), हैं;

और, पक्षी डाब चिक (*पोडिसिप्स रूफिकालिस*), बड़ा जलकौआ (*फ़ाला क्रोकोरेक्स कार्बो*), छोटा जलकौआ (*फ़लाक्रो कैरेक्स नाइजर*), बांकर या (*ब्लैक्बर्ड*) (*अनिंगा मेलानोगास्टर*), ग्रे बगुला (*अरडेया सिनेरिया*), तालाब बगुला (*अरडेयोला ग्रेयी*), निघट बगुला (*निक्टिकोरैक्स निक्टिकोरैक्स*), कैटल सफेद बगुला (*बुबुलिकस इब्स*), छोटा सफेद बगुला (*एग्रेट्टा ग्रज़ेटा*), बड़ा सफेद बगुला (*कैसमोडियस अल्बस*), चेस्टनट बिटेन (*इक्सोब्रीचस सिनामोमेस*), व्हाइट नेक चमरखेंच (*सिस्कोनिया एपिस्कोप*), ब्लैक नेक चमरखेंच (*एफ़िपिएयरहिन्चस एशियाटिकस*), काला बुज्जा (*थ्रेस्कीर्निस मेलानसेफालस*), चमचा चोंच (*प्लैटिया लियूकोरोडिया*), सफेद बुज्जा (*थ्रेस्कीर्निस अल्थियोपिका*), ब्राह्ममिणी बतख (*टेडोना फेरगिनी*), चमचा चोंच बतख (*एनास पॉसीलोरिंचा*), कॉम्ब बतख (*सर्किडीओर्निस मेलेनोटोस*), लेसर विस्टिल टील (*डेंड्रेसाइगनना जावानिका*) हैं;

और, मछलियों में नोटोप्टरस चिटा, कैटला कैटला (*कैटला*), सर्रिनेस मृगला, दानियो - डिकैरियो, नेमोचिलस बोतिया, लोबे रोहिता (*रोहू*), पंटिस चोला, माइस्टस सिंघाला (*सोनरह*), माइस्टस टैंगरा, रीटा रीटा, हिटेरोफ़िस्ट्स फासीलीस, आदि मिलते हैं;

और, केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है।

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 200 मीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 9.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका विस्तार केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 200 मीटर तक है ।

 (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है ।

 (3) मुख्य बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

 (4) केन घड़ियाल पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत विधिक स्थिति और क्षेत्र (आरक्षित वन और संरक्षित वन) का विस्तार और राजस्व क्षेत्र **उपाबंध III** और **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

 (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

 (3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

 (i) पर्यावरण;

 (ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रनिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने को बढ़ावा देगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो अनुच्छेद 4 के अधीन दिए गए हैं:

परंतु यह और भी किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के संबद्ध राज्य विधियों और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख)पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक संघटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे,अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव–चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि,) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
12.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

indiacode

17.	प्रवासी चरवाहें।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
19.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य के साथ चालू कृषि और बागवानी पद्धतियां।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए।

IndiaCode

37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i) प्रभागीय आयुक्त, सागर - अध्यक्ष;

(ii) जिला कलेक्टर, पन्ना/ छत्तरपुर – सदस्य;

(iii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पन्ना/ छत्तरपुर – सदस्य;

(iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) जैव विविधता विशेषज्ञ – सदस्य;

(vi) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक दशा में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ – सदस्य ;

(viii) क्षेत्र निदेशक, पन्ना बाघ आरक्षित, – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश के निबंधन.-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के गठन तक होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

IndiaCode

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/77/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

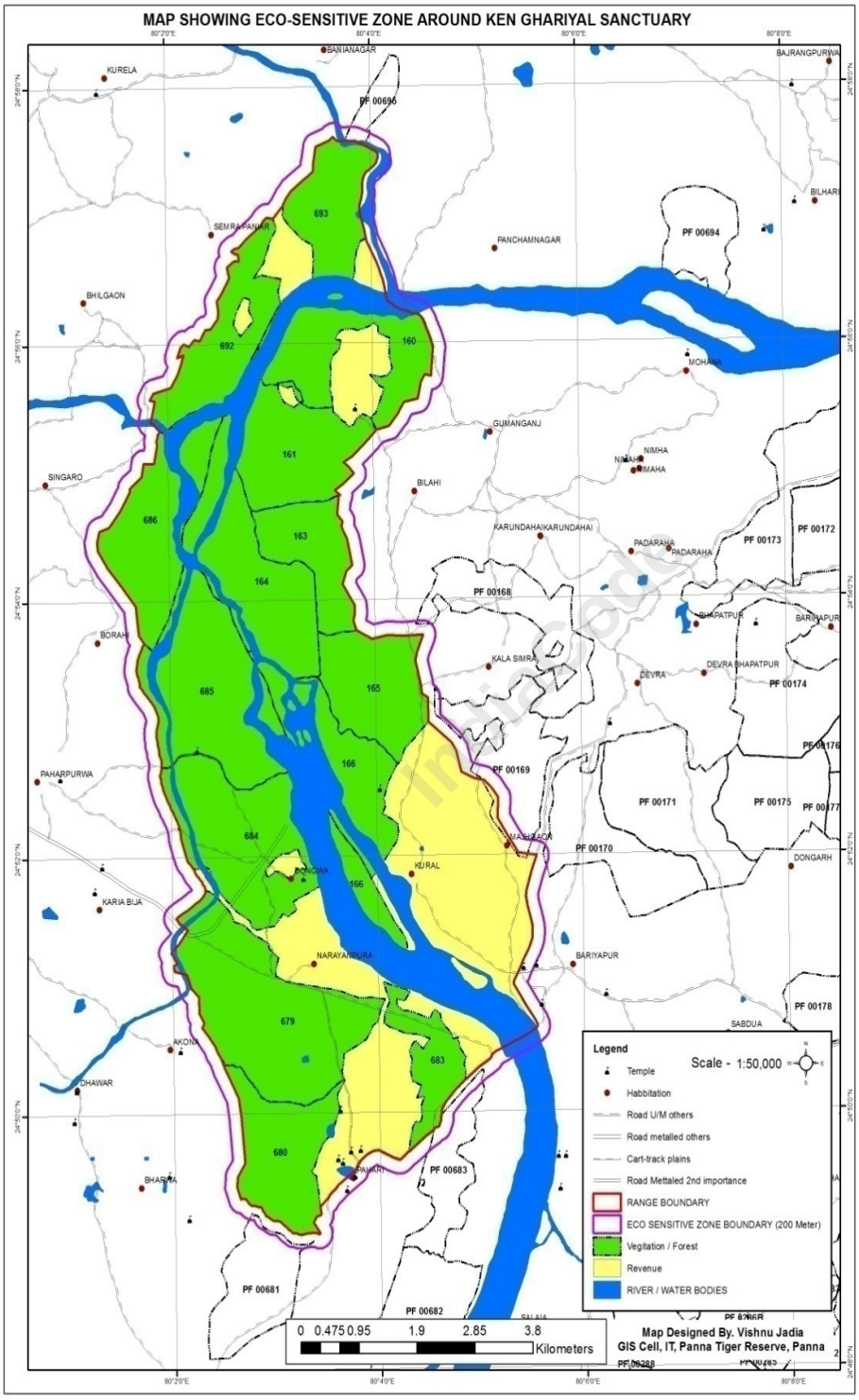
उपाबंध ।

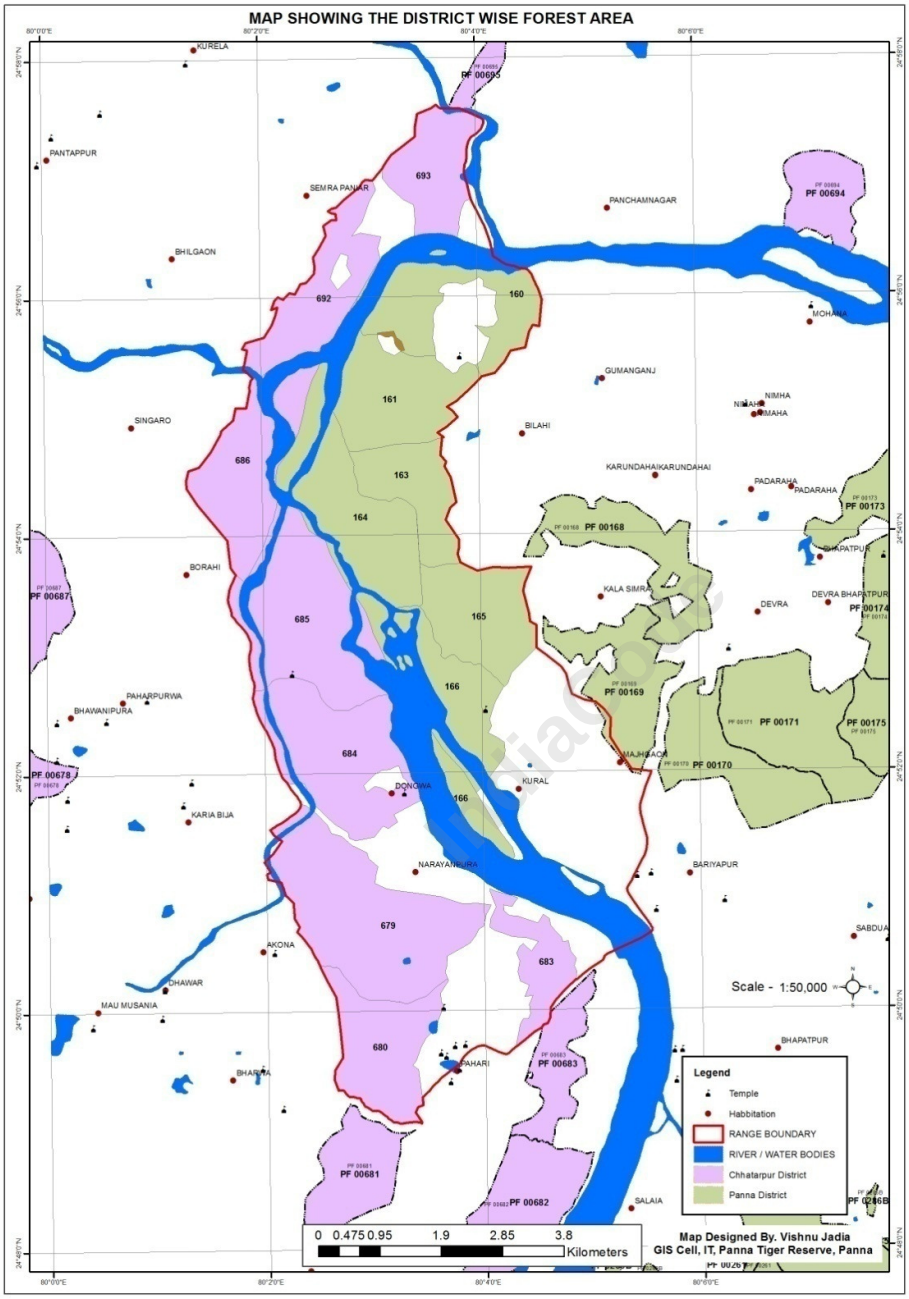
केन घड़ियाल अभयारण्य, खजुराहो, मध्य प्रदेश

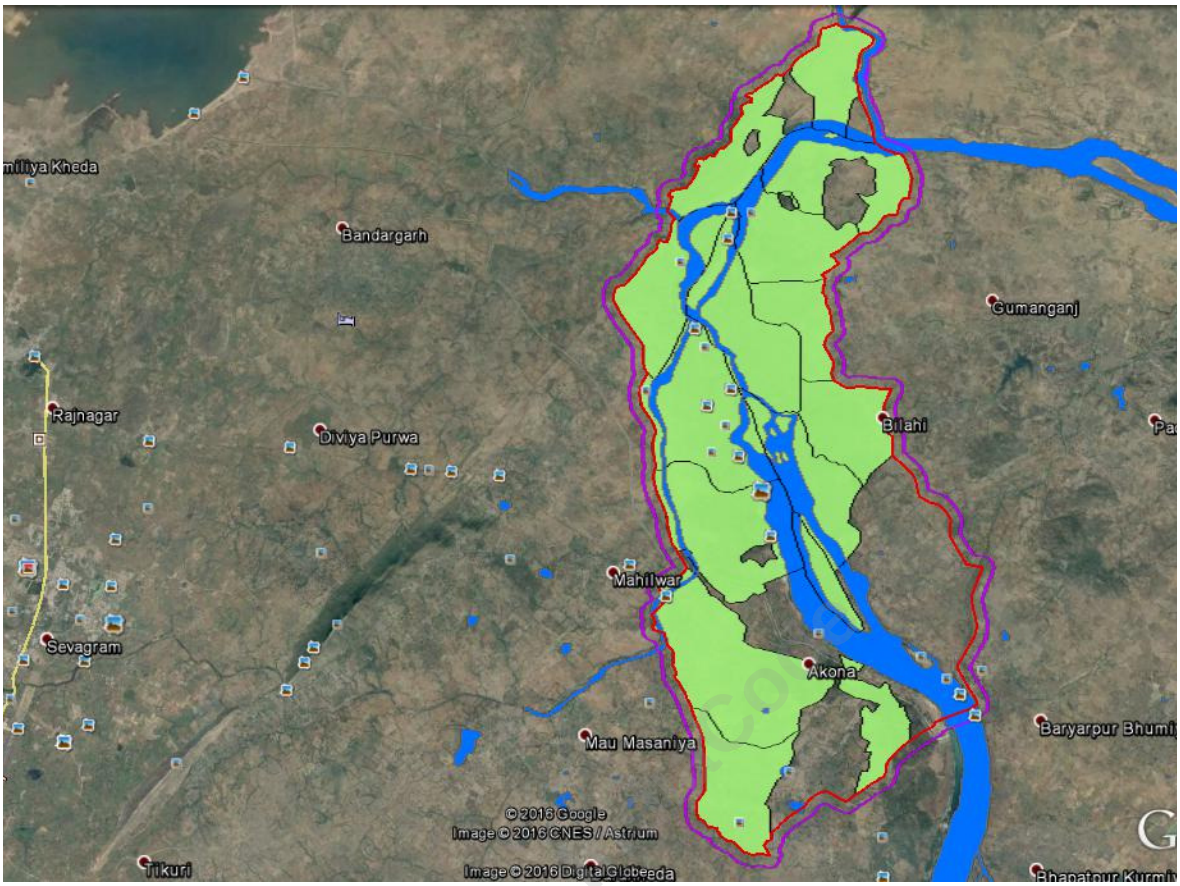
पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक

अभयारण्य के नाम	सीमा	देशांतर	अक्षांश
केन घड़ियाल अभयारण्य के निर्देशांक	उत्तर	80°03'38.269" पू	24°57'36.206" उ
	पूर्व	80°05'32.55" पू	24°51'59.512" उ
	दक्षिण	80°03'24.185" पू	24°49'04.498" उ
	पश्चिम	80°01'18.043" पू	24°54'27.787" उ
पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक	उत्तर	80°03'38.594" पू	24°57'43.149" उ
	पूर्व	80°05'39.861" पू	24°51'59.838" उ
	दक्षिण	80°03'23.842" पू	24°48'56.511" उ
	पश्चिम	80°01'11.774" पू	24°54'22.203" उ

IndiaCode


MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KEN GHARIYAL SANCTUARY
BANIANAGAR
BAJRANGPURWA
KURELA
PF 00696
BILHARI
SEMRA BANJAR
PANCHAMNAGAR
PF 00694
BHILGAON
MOHANA
GUMANGANJ
NIMHA
SINGARO
BILAHI
KARUNDAHAIKARUNDAHAI
PADARAHA
PF 00173
PF 00172
PF 00168
BHAPATPUR
BARIHAPUR
BORAH
KALA SIMRA
DEVRA BHAPATPUR
DEVRA
PF 00174
PF 00176
PAHARPURWA
PF 00169
PF 00171
PF 00175
PF 00177
MAHEDAGA
PF 00170
DONGARH
KURAL
KARIA BIJA
BARIYAPUR
PF 00178
SABDUA
AKONA
DHAWAR
BHARWA
PF 00683
PF 00681
PF 00682
685
686
692
693
160
161
163
164
165
166
684
679
683
680
Legend
Scale - 1:50,000
Temple
Habbitation
Road U/M others
Road metalled others
Cart-track plains
Road Mettaled 2nd importance
RANGE BOUNDARY
ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY (200 Meter)
Vegitation / Forest
Revenue
RIVER / WATER BODIES
0 0.475 0.95 1.9 2.85 3.8
Kilometers
Map Designed By. Vishnu Jadia
GIS Cell, IT, Panna Tiger Reserve, Panna


MAP SHOWING THE DISTRICT WISE FOREST AREA
KURELA
PANTAPPUR
SEMRA PANWAR
PANCHAMNAGAR
BHILGAON
MOHANA
GUMANGANJ
NIMHA
SINGARO
BILAHI
KARUNDAHAIKARUNDAHAI
PADARAHA
BHAPATPUR
BORAHI
KALA SIMRA
DEVRA
DEVRA BHAPATPUR
PAHARPURWA
BHAWANIPURA
MAJHGAON
KURAL
DONGWA
KARIA BIJA
NARAYANPURA
BARIYAPUR
SABDUA
AKONA
DHAWAR
MAU MUSANIA
BHARWA
PAHARI
SALAIA
693
692
160
161
686
163
164
685
165
166
684
679
683
680
PF 00693
PF 00694
PF 00173
PF 00168
PF 00687
PF 00169
PF 00171
PF 00175
PF 00170
PF 00678
PF 00683
PF 00681
PF 00682
Scale - 1:50,000
Legend
Temple
Habbitation
RANGE BOUNDARY
RIVER / WATER BODIES
Chhatarpur District
Panna District
0 0.475 0.95 1.9 2.85 3.8
Kilometers
Map Designed By. Vishnu Jadia
GIS Cell, IT, Panna Tiger Reserve, Panna



उपाबंध-II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों सहित भौगोलिक निर्देशांक

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	ग्राम का नाम	जिला	देशांतर	अक्षांश
1	छतरपुर	पहरी	छतरपुर	80°03'43.214"	24°49'30.208"

उपाबंध-III

केन घाडियाल पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत विधि स्थिति और क्षेत्र (आरक्षित वन और संरक्षित वन) का विस्तार

प्रभाग	श्रेणी	बीट	कंपार्टमेंट	विधि स्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर)
उत्तर पन्ना	अजयगढ़	सिमरा	169	आरक्षित वन	12.96
उत्तर पन्ना	अजयगढ़	डेवरा भापतपुर	170	आरक्षित वन	5.71
छतरपुर	लौंदी	पहरी	681	आरक्षित वन	5.50
छतरपुर	लौंदी	पहरी	683	आरक्षित वन	28.41
छतरपुर	लौंदी	बचोन	695	आरक्षित वन	7.40
कुल योग:					**59.98**

उपाबंध-IV

केन घाडियाल पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत विधि स्थिति और क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र) का विस्तार

प्रभाग	श्रेणी	बीट	विधि स्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर)
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	सिमरा	राजस्व	124.45
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	सिमरा	राजस्व	63.77
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	बरही	राजस्व	154.15
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	अकोना	राजस्व	206.43
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	कुदाई	राजस्व	73.14
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	कुदाई	राजस्व	120.00
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	बिलाही	राजस्व	61.07
पी. टी. आर.	केन घाडियाल अभयारण्य	गुमानगंज	राजस्व	71.92
कुल योग:				**874.93**

केन घाडियाल पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र

प्रभाग	वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	राजस्व (हेक्टेयर)	कुल
क्षेत्रीय प्रभाग	**59.98**	**874.93**	**934.91**

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 19th September, 2017

S.O. 3082(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1273(E), dated the 31st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Ken Garial Wildlife Sanctuary is located in the State of Madhya Pradesh and is spread over an area of 45.20 square kilometres;

AND WHEREAS, the sanctuary was established for conserving the highly endangered Gangetic Gharial and the sanctuary has floral and faunal elements typical to the Central Indian Highlands with teak and miscellaneous forest types;

AND WHEREAS, Species Teak, Bija, Dhaora, Khair, Saja, Landia- Tree 72, Shrubs and Herbs – 30 Species, Climbers and Creepers – 16 Species and Grasses and water plant – 10 Species were found in the Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the major tree species with their scientific names are Arjun (*Terminalia arjuna*), Achar (*Buehanania lanjan*), Aonla (*Bmblica officinale*), Amaltas (*Casia fistula*), Bel (*Eagle marmelos*), Ber (*Zizyphus jujuba*),Bargad (*Ficus bengalensis*), Bahera (*Terminalia bellarica*) ,Babool (*Acacoa nilotica*) , Bamboo (*Bambusa vulgaris*), Bhilma (*Semecorpus cardius*), Bija (*Pterocarpus marsupiom*) , Dhaora (*Anogeisus latifolia*), Kullu (*Sterculia urens*), Safed Siris (*Albizia procera*), Siris (*Albizia leabeek*), Sagon (Teak) (*Tectona grandis*), Salai (*Bosweleia serreta*), Semal (*Bombox ceiba*), Saja (*Terminalia tomentosa*);

AND WHEREAS, the major Shrubs and Herbs are Adusa (*Adhatodha aspera*), Akol (*Alangium salvifolium*), Aak (*Caalotropis procera*), Bantulsi (*Eranthemum pulchellum*), Bhendi (*Thespesialmpas*), Chirchira (*Achyranthes aspera*), Charota (*Cassia Tora*), Harsingar (*Nyctan thes are ortritis*), Karonda (*Carissa opaca*), Ratanjot (*Jatropha curcus*);

AND WHEREAS, the major Climbers and Creepers are Amarbel (*Cuscuta reflexa*), Banda (*Loranthus longiftours*), Chilati (*Acasia caesia*), Dudhibel (*Marsdenia ten cacissdma*), Gurar Gay (*Millettia auriculata*), Keoti (*Vallaris heynei*), Palas bel (*Butea superb*), Kewanch (*Mukuna pruriens*), Nagbel (*Cryptolepis buchanuni*), Randaton (*Smile macrophylla*);

AND WHEREAS, the mammals found in the Sanctuary area are Blue Bull (Neelgai)(*Boselaphu stragocamelus*), Chital (Spotted Deer) (*Axis axis*), Chinkara (*Gazella gazelle*), Chousingha (*Trtraceros quadricornis*), Hares (*Caprologus hispidus*) ,Wild Boar (*Sus scrofa*), Monkey (*Macca mulatta*), Langoor (*Presbytis entellus*), Wild dog (*Cuon alpinus*), Barking deer (Hiran) (*Muntiacus muntjack*), Hyaena (*Hyaena hyaena*), Five Striped squirrel (*Funarnbulus pennant*), Jungle cat (*Felis chaus*), Mongooses (*Gamis tierpesters*), Rates (*Bandicota bengalensis*);

AND WHEREAS, the Birds are Dab Chik (*Podiceps ruficallis*), Large cormorant (*Phala crocorex carbo*), Little cormorant (*Phalacro corax niger*), Darter or (Snakebird) (*Anhinga melanogaster*), Grey Heron (*Ardea cinerea*), Pond Heron (*Ardeola grayii*), Nighit Herons (*Nycticorax nycticorax*), Cattle egrets (*Bubulcus ibis*), Little egret (*Egretta grzetta*), Large egret (*Casmerodius albus*), Chestnut Bitten (*Ixobrychus cinnamomeus*), White neck stork (*Ciconia episcopus*), Black neek stork (*Ephippiorhynchus asiaticus*), Black ibis (*Threskiornis melanocephalus*), Spoon bill (*Platalea leucorodia*), White ibis (*Threskiornis althiopica*), Brahamni duck (*Tadorna ferruginea*), Spoon bill duck (*Anas poecilorhyncha*), Comb duck (*Sarkidiornis melanotos*), Lesser whistling teal (*Dendrocygna javanica*);

AND WHEREAS, the Reptiles Found and Indentified in the Sanctuary are Crocodile (Mugger) (*Crocodylus palustris),* Ghariyal (Ghadiyal) (*Gavialis gangeticus)*, Monitor lizard (Goh.) (*Varanus fiaqescens)*, Turtles (*As pideretes gangeticus*),Kachua (*Kachuge kachuga*), Kachuwa (*Kachuga tinctoria*), Large Bengal monitor lizard (*Varanus bengalensis),* Python (*Gienus python),* Common Cobra (*Naja tripudians)*;

AND WHEREAS, the Fishes found are Notopterus chitala, Catla Catla (*Catla),*Cirrhinus mrigala, Danio – decario, Nemochilus botia, Lobea rohita (*Rohu),* Puntis chola, Mystus seenghala (*Sonrh),* Mystus tangara, Rita rita, Heteropheustes fossilis ;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ken Gharial Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 200 meters from the boundary of the Ken Gharial Wildlife Sanctuary, as the Ken Gharial Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), which is spread over the States of Madhya Pradesh, details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 9.34 square kilometres with an extent of 200 meters from the boundary of Ken Gharial Wildlife Sanctuary.

(2) The co-ordinates of the Eco-sensitive Zone and Wildlife Sanctuary and map of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**

(3) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with coordinates of permitted points is appended as **Annexure II.**

(4) Legal Status and Extent of Area (Reserved Forest and protected Forest) and Revenue Area within the Ken Gharial Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III & IV** respectively.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture & Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal & urban development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as -

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers, channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

IndiaCode

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and

Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone

		as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

		(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) Divisional Commissioner, Sagar — Chairman

(ii) District Collector, Panna/Chattarpur — Member

(iii) CEO of District Panchayat, Panna/Chattarpur — Member

(iv) Representative of the State Pollution Control Board — Member

(v) Biodiversity Expert — Member

(vi) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh — Member

(vii) One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh — Member

(viiii) Field Director, Panna Tiger Reserve — Member Secretary

6. Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the state Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

IndiaCode

[F. No. 25/77/2015-ESZ]

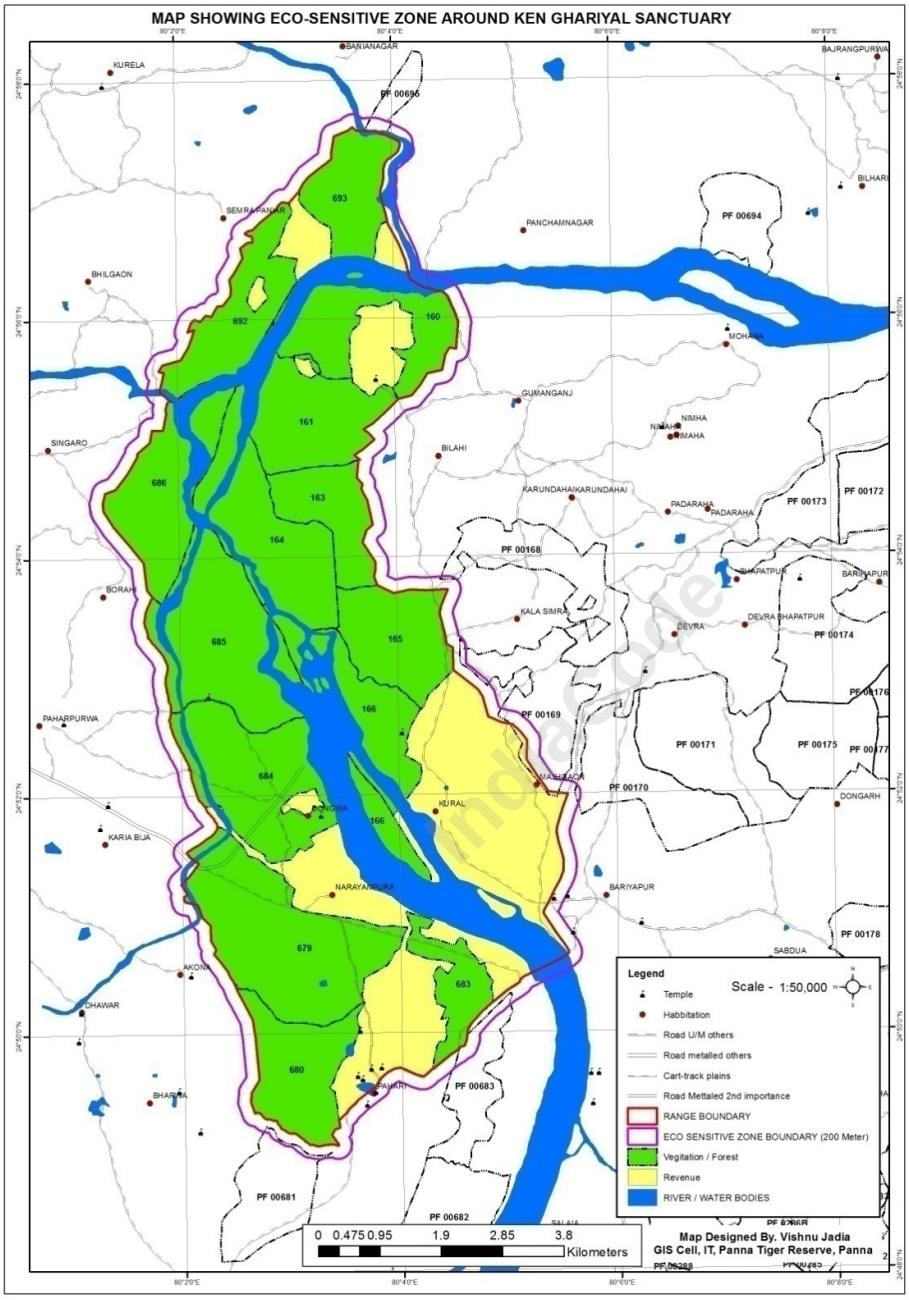
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

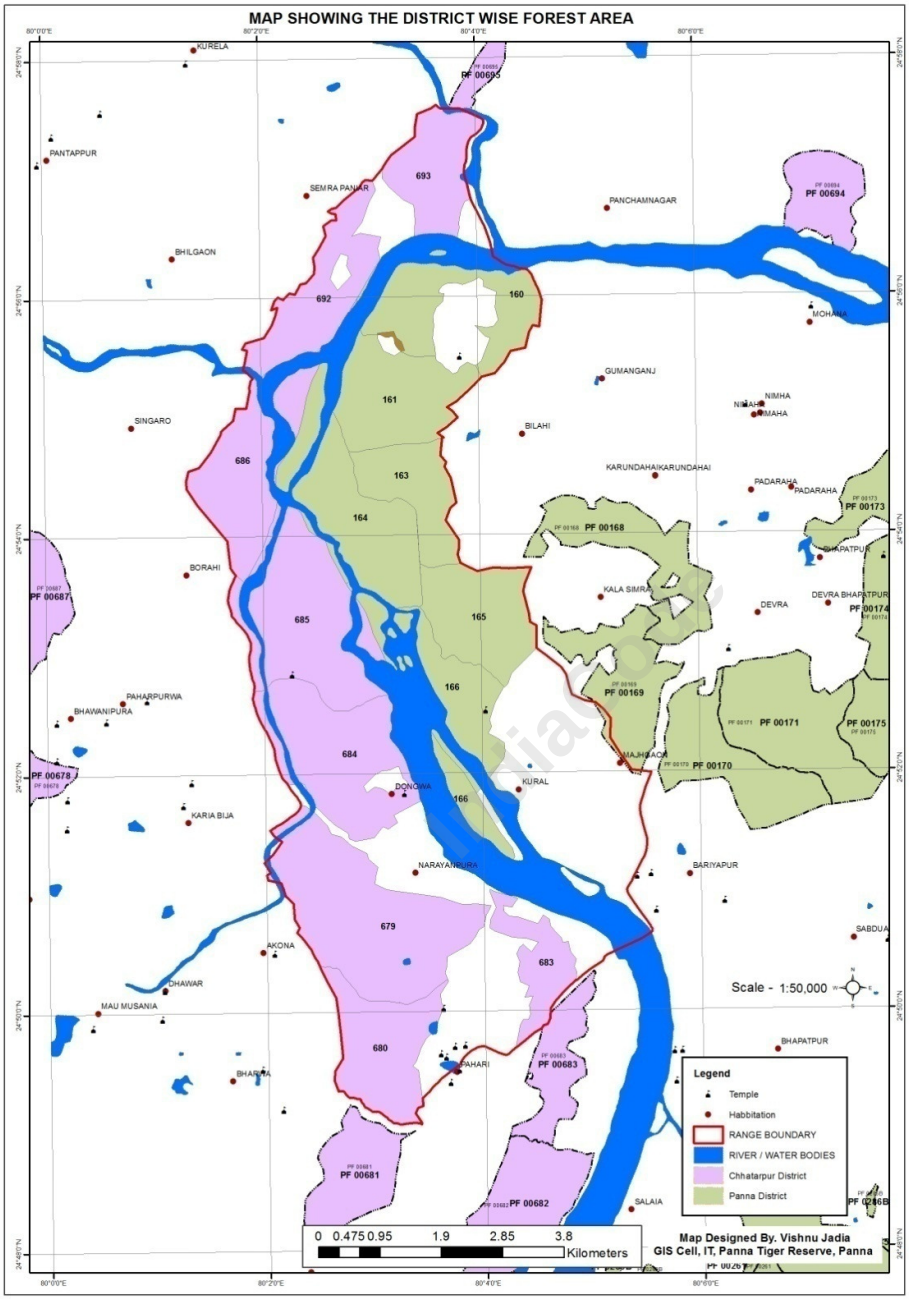
Annexure-I

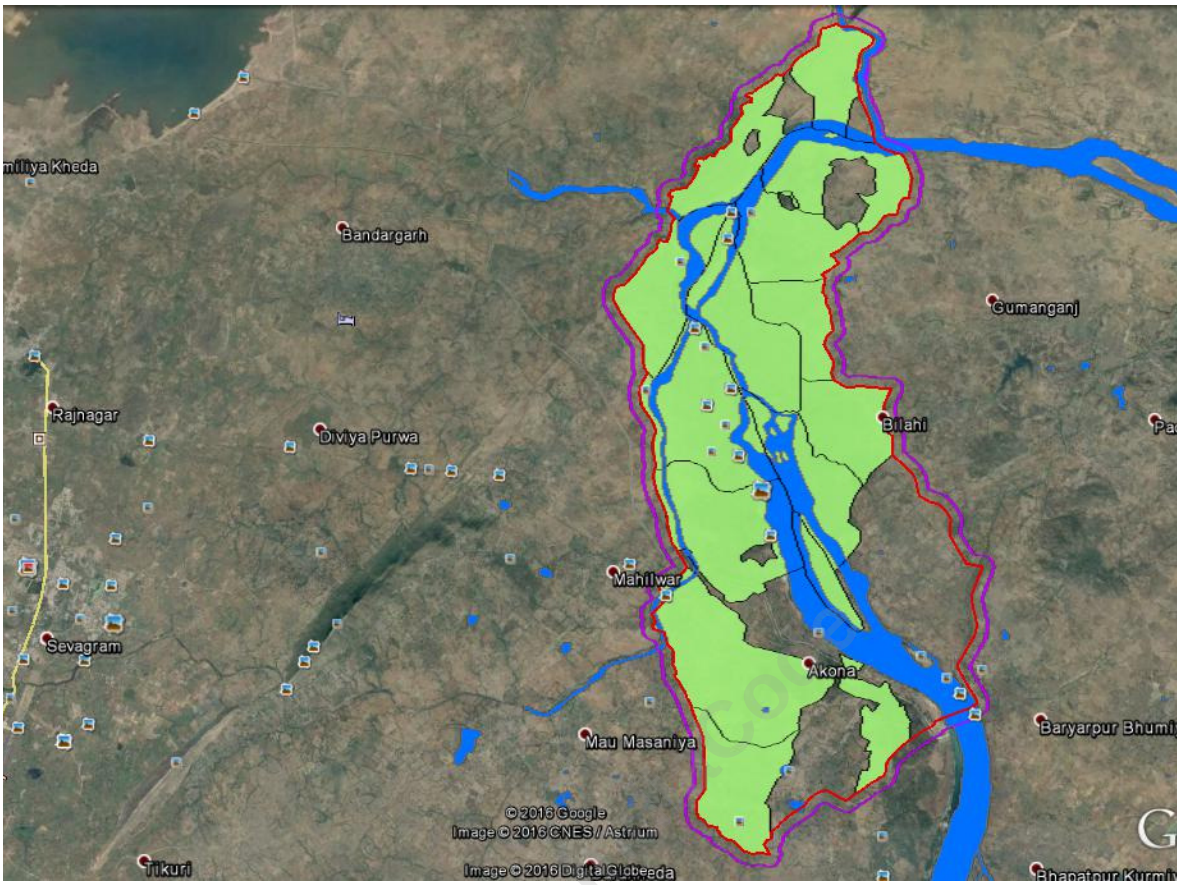
Ken Gharial Sanctuary, Khajuraho, M.P.

Eco- sensitive Zone Global Positioning System Coordinates

Name of Sanctuary	Boundary	Longitude	Latitude
Ken Ghariyal Sanctuary Co-ordinates	North	80°03'38.269"E	24°57'36.206"N
	East	80°05'32.55"E	24°51'59.512"N
	South	80°03'24.185"E	24°49'04.498"N
	West	80°01'18.043"E	24°54'27.787"N
Eco-sensitive Zone Co-ordinates	North	80°03'38.594"E	24°57'43.149"N
	East	80°05'39.861"E	24°51'59.838"N
	South	80°03'23.842"E	24°48'56.511"N
	West	80°01'11.774"E	24°54'22.203"N


MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KEN GHARIYAL SANCTUARY
BANIANAGAR
BAJRANGPURWA
KURELA
PF 00696
BILHARI
SEMRA DANWAR
PANCHAMNAGAR
PF 00694
BHILGAON
MOHANA
GUMANGANJ
NIMHA
SINGARO
BILAHI
KARUNDAHAIKARUNDAHAI
PADARAHA
PF 00173
PF 00172
PF 00168
BARIYAPUR
BORAHI
KALA SIMRA
DEVRA BHAPATPUR
DEVRA
PF 00174
PF 00176
PAHARPURWA
PF 00169
PF 00171
PF 00175
PF 00177
PF 00170
DONGARH
KURAL
KARIA BIJA
NARAYANPURA
BARIYAPUR
PF 00178
SABDUA
AKOLI
CHAWAR
PF 00683
BHARWA
PF 00681
PF 00682
Legend
Scale - 1:50,000
Temple
Habbitation
Road U/M others
Road metalled others
Cart-track plains
Road Mettaled 2nd importance
RANGE BOUNDARY
ECO SENSITIVE ZONE BOUNDARY (200 Meter)
Vegitation / Forest
Revenue
RIVER / WATER BODIES
0 0.475 0.95 1.9 2.85 3.8
Kilometers
Map Designed By. Vishnu Jadia
GIS Cell, IT, Panna Tiger Reserve, Panna


MAP SHOWING THE DISTRICT WISE FOREST AREA
KURELA
PF 00695
PANTPPUR
SEMRA PANWAR
693
PANCHAMNAGAR
PF 00694
BHILGAON
692
160
MOHARA
GUMANGANJ
161
NIMHA
SINGARO
BILAHI
686
KARUNDAHAIKARUNDAHAI
163
PADARAHA
164
PF 00173
PF 00168
BHAPATPUR
BORAHI
PF 00687
KALA SIMRA
DEVRA
DEVRA BHAPATPUR
PF 00174
685
165
PAHARPURWA
166
BHAWANIPURA
PF 00169
PF 00171
PF 00175
684
MAJHGAON
PF 00170
PF 00678
KURAL
166
KARIA BIJA
NARAYANPURA
BARIYAPUR
679
SABDUA
AKONA
683
CHHAWAR
MAU MUSANIA
Scale - 1:50,000
BHAPATPUR
680
PAHARI
PF 00683
BHARWA
Legend
Temple
Habbitation
RANGE BOUNDARY
RIVER / WATER BODIES
Chhatarpur District
Panna District
PF 00681
PF 00682
SALAIA
0 0.475 0.95 1.9 2.85 3.8
Kilometers
Map Designed By. Vishnu Jadia
GIS Cell, IT, Panna Tiger Reserve, Panna



Annexure-II

Villages with Geographical Coordinates within the Ken Gharial Eco-Sensitive Zone

Sl. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Chhatarpur	Pahari	Chhatarpur	$80^0$03´43.2014”	$24^0$49’30.208”

Annexure-III

Legal Status and Extent of Area (Reserved Forest and protected Forest) within the Ken Gharial Eco-sensitive Zone

DIVISON	RANGE	BEAT	COMPARTMENT	LEGAL STATUS	Area (Ha.)
North Panna	Ajaygarh	Simra	169	PF	12.96
North Panna	Ajaygarh	Debra Bhapatpur A	170	PF	5.71
Chhatarpur	Loundi	Pahari	681	PF	5.50
Chhatarpur	Loundi	Pahari	683	PF	28.41
Chhatarpur	Loundi	Bachon	695	PF	7.40
Grand Total:					**59.98**

Annexure-IV

Legal Status & Extent of Area (Revenue Area) within the

Ken Gharial Eco-sensitive Zone

Division	Range	Beat	Legal Status	Area (Ha.)
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Simra	Revenue	124.45
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Simra	Revenue	63.77
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Barahi	Revenue	154.15
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Akona	Revenue	206.43
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Kudai	Revenue	73.14
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Kudai	Revenue	120.00
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Bilahi	Revenue	61.07
P.T.R.	Ken Gharial Sanctuary	Gumanganj	Revenue	71.92
Grand Total:				**874.93**

Ken Gharial Eco-sensitive Zone Area

Division	Forest Area (hac.)	Revenue (hac.)	Total
Territorial Div.	**59.98**	**874.93**	**934.91**

IndiaCode

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:

 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.22 21:58:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.